

## महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम

बनाम

वी-महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस.

मार्च 4,2003

[डोरेस्वामी राजू और पी. वेंकटरामा रेड्डी, जे. जे.]

शहरी विकास:महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम, 1996; धारा 126: अधिग्रहण कार्यवाही-के तहत मुआवजे का निर्धारण एम. आर. टी. पी. अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण। इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों में किए गए संशोधन जो भूमि धारक/दावेदार को कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। जब एक ही विषय पर पूर्ववर्ती अधिनियम के कुछ प्रावधानों को इसमें संदर्भित/शामिल किया गया है। जब पहले के कुछ प्रावधान उसी विषय पर अधिनियम को विधायिका द्वारा बाद के कानून में संदर्भित/शामिल किया गया है। एेसे प्रावधानों में किए गए किसी भी संशोधन को बाद के कानून में पढ़ा जाना होगा, जिसमें उन्हें संदर्भित किया गया है, बशर्ते है कि एेसे संशोधन अन्य प्रावधानों के साथ असंगत ना हो। मुआवजे के पुरूष्कर से संबंधित एल.ए अधिनियम के बाद के कानून में संशोधित प्रावधान एम.आर.टी.पी. पर पूरी ताकत के साथ लागू होने अधिनियम इस अर्थ में कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14

का उल्लंघन नहीं होगा, इसलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संशोधित प्रावधान के तहत लाभ नीचे के न्यायालय द्वारा दावेदार को सही रूप से दिया गया है। भूमि अधिग्रहण 1984 के संशोधन अधिनियम 68 के साथ धारा 23 और 28 संविधि की व्याख्या संदर्भ द्वारा निगमन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उचित रूप से विस्तारित किया गया था।

अपीलार्थी-निगम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के साथ पढ़े गए महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम (एम.आर.टी.पी अधिनियम) के प्रावधान के तहत प्रतिवादी दावेदार के खिलाफ अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की थी।

इसके बाद, दावेदार भूमि धारक को कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 और 28 में कुछ संशोधन किए गए। इन लाभों से इनकार करने पर प्रत्यर्थी/दावेदार ने जिला न्यायालय के समक्ष अपील की जिसने एल. ए. अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार लाभ प्रदान किए।

अपील पर, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की पुष्टि की गई। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि इसमें संशोधन किया गया है। क्षतिपूर्ति/अन्य लाभों से संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान एम. आर. टी. पी. अधिनियम के

अधिनियमन के बाद किए गए थे, उन्हें एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत अधिग्रहण के संबंध में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रत्यर्थी-दावेदार की ओर से, यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किए जाने वाले किसी भी भविष्य के संशोधन को बाहर करने के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम में किसी भी प्रावधान के अभाव में एल.ए अधिनियम में संशोधित प्रावधानों को लागू किया जाएगा। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पकड़ना: 1.1 . किसी विशेष विषय पर पूर्ववर्ती अधिनियम या उसके कुछ या अधिकांश प्रावधानों का संदर्भ देकर उधार लेना एक अच्छी तरह से स्थापित विधायी प्रथा है, ताकि उन्हें बाद के कानून द्वारा निपटाए गए प्रासंगिक विषय पर लागू किया जा सके। यह मुख्य रूप से सुविधा के लिए किया जाता है ताकि पहले के अधिनियम के प्रावधानों की मौखिक पुनरावृत्ति से बचा जा सके। बहुत बार इस तरह के संदर्भ के बाद कुछ संशोधन किए जाते हैं जिनके अधीन पूर्ववर्ती अधिनियम लागू होना चाहिए। जब इस तरह के विधायी उपकरण को अपनाया जाता है, तो पहले के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान बाद के अधिनियम द्वारा शासित मामलों में याथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, लेकिन निर्माण में कठिनाई तब उत्पन्न होगी जब पहले के अधिनियम को

निरस्त या संशोधित/संशोधित किया जाएगा। तब जटिल प्रश्न यह होगा कि क्या निरसन या संशोधनों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और उधार लिए गए प्रावधानों को बाद के अधिनियम के अधिनियमन के समय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए या पहले के अधिनियम के प्रावधानों को बाद के संशोधनों/संशोधनों के अधीन लागू किया जाना चाहिए। यदि बाद के अधिनियम में निर्दिष्ट अधिनियम में बाद के संशोधनों की प्रयोज्यता या अन्यथा के बारे में कोई निश्चित संकेत है, तो कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है; लेकिन, समस्या तब उत्पन्न होती है जब ऐसा कोई संकेत नहीं होता है। फिर, वैधानिक व्याख्या की दो संबद्ध लेकिन गुणात्मक रूप से अलग अवधारणाएँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें संदर्भ द्वारा निगमन और बाद के अधिनियम में पहले के कानून के केवल संदर्भ या उद्धरण के रूप में जाना जाता है। पहले मामले में, निगमित कानून के प्रावधान, जो कानून को शामिल करने के समय प्रासंगिक समय पर थे, कभी भी उस बाद के कानून में पढ़े जाते रहेंगे, जब तक कि विधायिका संशोधनों के अनुरूप बाद के कानून में संशोधन करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती। हालाँकि, कानूनी प्रभाव अन्यथा एक कानून के मामले में होता है जो केवल पहले के कानून के प्रावधानों का संदर्भ देता है। उस मामले में, समय-समय पर कानून के संशोधन का उस कानून पर प्रभाव पड़ेगा जिसमें इसे संदर्भित किया गया है। पूर्ववर्ती कानून के प्रावधानों को उनके संशोधनों के साथ बाद के अधिनियम में पढ़ना होगा जिसमें उन्हें संदर्भित किया गया है जब तक

कि बाद का संशोधन पहले से मौजूद एक विशिष्ट प्रावधान के साथ असंगत है।

1.2. संदर्भ द्वारा निगमन और गोद लेने के बीच का अंतर संदर्भ द्वारा निगमन और मात्र संदर्भ या उद्धरण द्वारा प्रावधानों को अपनाने के बीच का अंतर डिग्री में अंतर में से एक है और अक्सर धुंधला होता है। यह तथ्य सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश या विशेषताएँ नहीं बताई गई हैं कि यह एक या दूसरी श्रेणी से संबंधित है जिससे पहचान का कार्य मुश्किल हो जाता है। व्याख्या से जुड़े शब्दार्थ एक सीमित सीमा तक अपनी भूमिका निभाते हैं। अंततः, यह विधायी इरादे की जांच करने और/या अधिनियम के काम करने में अंतर्दृष्टि लेने का मामला है यदि एक या दूसरे का विचार है अपनाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतवादी दृष्टिकोण की क्या कानून निगमन या संदर्भ द्वारा है, अंतिम विश्लेषण पर, उस उद्देश्य की ओर निर्देशित है। यह भेद अक्सर मुख्य नियम से जुड़े अपवादों के साथ महत्वहीन हो जाता है कि क्या विधायिका प्रावधानों को फ्रीज कर दिया है। पहले के अधिनियम का बाद के कानून में लागू होने की तारीख पर प्रचलित है ताकि इसे बाद के संशोधनों के प्रभाव से बचाया जा सके या भविष्य के होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए बाध्य किया जा सके? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढते समय इस अधिनियम की भाषा, योजना और उद्देश्य निस्संदेह महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

राज्य सचिव वी। हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ए. आई. आर. (1931) पी. सी. 149, का अवलंब लिया गया।

गौरी शंकर गौर बनाम। यू. पी. राज्य, [1994]। एस. सी. सी. पृष्ठ 92, संदर्भित को।

1.3. U.P.A.E. में अनुपात और तर्क V. परिषद मामले \* महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अध्याय VII के तहत अधिग्रहण पर यदि अधिक नहीं तो समान रूप से बल के साथ लागू होता है, जिसका धारा 126 (3) एक हिस्सा है। वास्तव में एम. आर. टी. पी. अधिनियम द्वारा एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों में किए गए संशोधन न्यूनतम है और किसी भी दर पर यू.पी. द्वारा किए गए संशोधनों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हैं। धारा 129 द्वारा त्वरित अधिग्रहण के संबंध में किए गए अधिनियम को छोड़कर पूर्ववर्ती अधिनियम द्वारा कवर किए गए मामलों को विशेष रूप से निर्दिष्ट या पुनर्निर्दिष्ट किया नहीं गया है, क्योंकि यह पहले से ही धारा 126 (3) द्वारा निर्धारित है कि एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए जाने चाहिए। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण पर लागू किया जाना चाहिए।

\* यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम। जैनुल इस्लाम, [1998] 2 एस. सी. सी. 467, महाराष्ट्र राज्य सड़क टी. पी. टी. का अवलंब लिया गया।

नागपुर सुधार न्यास बनाम। वसंत राव, [2002] 7 एस. सी. सी. सी. 657, संदर्भित को

1.4. एम. आर. टी. पी. अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित एल. ए. अधिनियम के प्रावधान के निर्माण को अपनाने से रोकता हो। क्षतिपूर्ति देने के संबंध में, उस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर पूरे जोश के साथ लागू होगा। जब तक इस तरह की व्याख्या धारा 126 (3) पर नहीं रखी जाती है, तब तक एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित घृणित भेदभाव और स्पष्ट मनमानेपन की बुराई से ग्रस्त होगा। यदि अपीलकर्ता द्वारा रखी गई व्याख्या को स्वीकार कर ली जाती है, तो धारा 126 (3) स्वयं अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में निरस्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अध्याय VII द्वारा विचार की गई अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अव्यवहारिक व अप्रभावी हो जाएगी और जिन भूमि-धारकों की भूमि एम.आर. टी. पी. अधिनियम के अध्याय VII के तहत अधिग्रहित की गई है, उन्हें भूमि से वंचित करने के लिए मौद्रिक प्रतिदान प्राप्त करने के मामले में अक्षमता या नुकसान के अधीन नहीं किया जा सकता है यह सार्वजनिक उद्देश्य की प्रकृति या प्राधिकरण पर निर्भर करता है, जिसके लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम, [1998] 2 एस. सी. सी. 467 और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम। वसंत राव, [2002] 7 एस. सी. सी. 657, का अवलंब लिया गया है।

2. जिला न्यायालय का निर्णय 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित एल. ए. अधिनियम की धारा 23 (1-ए), 23 (2) और धारा 28 के तहत लाभ उत्तरदाताओं को दिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, कोई हस्तक्षेप न करने का आह्वान करता है।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार 1997 की सिविल अपील सं. 4394। 1996 के एफ. ए. सं. 1135 में मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 16/17 और दिनांक 19.12.1996 से

वी. के. बोबडे, के. आर. नागराजा, आर. एस. हेगड़े, प्रशांत जैन, चंद्र प्रकाश। अजीत भासमे। मनीष पिटाले, एस. एस. शिंदे, उदय यू. ललित। उपस्थित दलों के लिए अनिल जे. आहूजा, प्रकाश जे. आहूजा, सत्यजीत साहा, वी. डी. खन्ना, जमनादास एच. आहूजा और सुश्री भावना खेमानी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

पी. वेंकटरामा रेड्डी, जे. की विशेष अनुमति द्वारा यह अपील उत्पन्न होती है उच्च न्यायालय ने संयुक्त जिला न्यायाधीश, नासिक द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की। अधिग्रहण जो इस अपील का विषय है, सताना शहर के पास स्थित 5,800 वर्ग किलोमीटर भूमि के संबंध में था।

7.5.1987 को बाजार मूल्य 300 प्रति वर्ग मीटर रुपये तय किया गया था। एल. ए. अधिनियम की संशोधित धारा 23 और 28 के तहत वैधानिक लाभों को बढ़ाया गया।

अधिग्रहण की कार्यवाही बस स्टैंट के विस्तार के उद्देश्य से वर्ष 1987 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के साथ महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई थी। मुख्य रूप से, इस अपील में, इस न्यायालय से इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि क्या 1984 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 68 द्वारा धारा 23 और धारा 28 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किए गए संशोधन, जो भूमि धारकों को कुछ अतिरिक्त मौद्रिक लाभ प्रदान करते हैं, उन्हें तत्काल अधिग्रहण पर लागू किया गया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1984 के केंद्रीय अधिनियम 68 द्वारा, धारा 23 उप-धारा (1-ए) को जोड़ा गया था, जो दावेदारों को अवधि के लिए बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना की गई राशि प्राप्त करने का अधिकार देता था। धारा 4(1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होकर पुरुष्कार की तारीख या कब्जा लेने की तारीख तक, जो भी पहले हो। सुंदर बनाम भारत संघ 2001 7 एस.सी.सी 211 में संविधान पीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि यह अतिरिक्त राशि मुआवजे का हिस्सा है। 1984 के अधिनियम 68 के तहत एक अन्य लाभ

धारा 23 की उप-धारा (2) के अनुसार देय ऋण राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। संशोधित धारा 28 के तहत दावेदार दिए गए अतिरिक्त मुआवजे पर बढ़ी हुई दरों पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है।

अपीलकर्ता की ओर से तर्क यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उक्त संशोधित प्रावधानों को एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत ली गई भूमि अधिग्रहण पर लागू नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उन संशोधनों की तारीख के बाद एम. आर. टी. पी. अधिनियम 1966 के प्रारंभ की तारीख को एम. आर. टी. पी. अधिनियम में नहीं पढ़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि दावेदारों/भूमि धारकों के लिए स्वीकार्य संबद्ध लाभों से संबंधित मामलों में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम (इसके बाद एल. ए. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रासंगिक प्रावधान, जैसा की वह लागू होने की तारीख पर थे, केवल एम.आर.टी.पी अधिनियम के प्रावधान ही प्रासंगिक हैं। चूंकि वे केवल एम.आर.टी.पी के अधिनियमन की तिथि पर ही प्रासंगिक हैं और इसके बाद के संशोधनों को संबंध में नजरअंदाज किया जा सकता है।

महाराष्ट्र राज्य सड़क टी. पी. टी. के एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत एक अधिग्रहण के लिए प्रत्यर्थी-दावेदार का तर्क है कि भूमि

अधिग्रहण अधिनियम में विशेष रूप से निर्धारण और भुगतान या मुआवजे के संबंध में किया गया कोई भी संशोधन जिसके संबंध में एम. आर. टी. पी. अधिनियम में कोई स्वतंत्र प्रावधान नहीं है, उसे एम. आर. टी. पी. के अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए लागू किया जाएगा। एम.आर.टी.पी अधिनियम में एल. ए. अधिनियम में भविष्य के संशोधनों को बाहर करने के लिए कोई विपरीत इरादा व्यक्त नहीं किया गया है। मुआवजे के विषय पर एल.ए अधिनियम में भविष्य के संशोधनों को बाहर करने के लिए एम.आर.टी.पी अधिनियम में व्यक्त किया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि धारा 126 संदर्भात्मक विधान का एक उदाहरण है।

सवाल का जवाब एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अध्याय VII ("भूमि अधिग्रहण") और अन्य में निहित प्रावधानों की जांच पर निर्भर करता है। विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 126 (3) पर रखी जाने वाली व्याख्या पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है:

(3) " उक्त धारा 6 के तहत एक घोषणा के प्रकाशन पर, कलेक्टर उक्त अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए आगे बढ़ेगा। उक्त भूमि का अधिग्रहण इस संशोधन के साथ उस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। और उक्त भूमि का बाजार मुल्य होगा।

(i) जहां किसी नए शहर के उद्देश्य के लिए अर्जित की जानी है, ऐसे शहर के लिए विकास प्राधिकरण का गठन या घोषणा करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य।

(ii) जहाँ भूमि विशेष योजना प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाती है। वहां अवकिसत क्षेत्र के रूप में क्षेत्र की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर प्रचलित बाजार मूल्य और

(ग) किसी अन्य मामले में अंतरिम विकास योजना, मासौदा विकास योजना या व्यापक विकास के लिए क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए योजना के प्रकाशन की तारीख पर बाजार मूल्य, जो भी पहले हो, या जैसा भी मामला हो, मसौदा विकास योजना की तिथि या प्रकाशन

विकास योजना का प्रारूप: प्रावधान को हटा दिया गया। धारा 125,126,128 और 129 में निहित अन्य प्रावधानों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। धारा 125 में कहा गया है कि व्यापक विकास के किसी भी क्षेत्र की योजनाओं सहित किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्रीय योजना, विकास योजना या नगर विकास योजना में आवश्यक, आरक्षित या नामित कोई भी भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अर्थ के तहत किसी भी नए शहर के लिए किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि मानी जाएगी। धारा 126 (1) अधिग्रहण के तरीकों से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि किसी क्षेत्रीय योजना या विकास या अन्य योजना या

नगर योजना योजना के मसौदे के प्रकाशन के बाद यदि किसी योजना इसमें निर्दिष्ट किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य में से किसी के लिए किसी भूमि की आवश्यकता आरक्षित है, तो योजना प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण या कोई भी उपर्युक्त प्राधिकारी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। (ए) आपसी समझौते द्वारा; (बी) भूमि मालिक या पट्टेदार को उसके भुगतान या पट्टेदार के ब्याज, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या हस्तांतरणीय विकास अधिकारों का भुगतान कर ले या जमा करने के अधीन भूमि के क्षेत्र के खिलाफ निःशुल्क और सभी बाधाओं आदि से मुक्त। (ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को आवेदन करके एक बार जब धारा 126 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत आवेदन किया जाता है, तो उप-धारा (2) प्रदान करती है कि यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन में निर्दिष्ट भूमि उसमें निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है या यदि राज्य सरकार की खुद यह मानती है कि ऐसी किसी योजना में कोई भूमि शामिल है। किसी भी भूमि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता है, तो वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 में दी गई रीति से आधिकारिक राजपत्र में इस आशय की घोषणा कर सकती है और स प्रकार प्रकाशित धारा 6 के तहत विधिवत की गई घोषणा माना जाएगा। यहां एक पल के लिए रुककर, यह देखा जाता है कि राज्य सरकार स्वयं (धारा 49 और 113 ए के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर) घोषणा कर सकती है। एल. ए.

अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए तरीके से अगर उसकी राय है कि पूर्व उल्लिखित योजना में शामिल कोई भी भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है, तो उप-धारा (2) के प्रावधानों में कहा गया है कि उप-धारा (4) में निहित प्रावधान के अधीन क्षेत्रीय योजना, विकास योजना मसौदे के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाएगी या किसी अन्य योजना या विकास योजना जैसा भी मामला हो धारा 126 की उप-धारा (3), हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आत्मसात और अवशोषित करती है। भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रावधान धारा 6 के तहत निम्न घोषणा के प्रकाशन के चरण के बाद तथापि, उप-धारा (3) एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुरूपसंबंधित तिथि तय करने के लिए संशोधन करती है। यह संशोधन बाजार मूल्य की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि के संबंध में है। यह उप-धारा (3) के खंड (i), (ii) और (iii) द्वारा प्रावधान प्रदान किया गया है इन तीन तिथियों एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना है। धारा 126 में अंतिम उप-धारा उप-धारा (4) है। यह प्रावधान भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम को सीमित तरीके से संशोधित करने का प्रावधान रखता है। धारा (4) जो एक गैर-स्थिर खंड से शुरू होती है, दो चीजों के लिए प्रावधान करती है: ( 1 ) यदि उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर घोषणा नहीं की जाती है। राज्य सरकार एक नई

घोषणा कर सकती है और ऐसे मामलों में भूमि का बाजार मूल्य नए सिरे से भूमि प्राप्त करने के लिए किए गए आधिकारिक राजपत्र में घोषणा की तारीख पर बाजार मूल्य होगा।

धारा 128 (1) पर आते हैं, जो राज्य सरकार को अधिनियम में किसी बात के बावजूद एल.ए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके किसी योजना या विकास योजना में निर्दष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सक्षम बनाता है। धारा 128 (2) में यह प्रावधान है कि योजना प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण या उपर्युक्त प्राधिकारी को अर्जित भूमि में रुचि रखने वाला व्यक्ति माना जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय बाजार मूल्य का आकलन इस प्रकार किया जाएगा, जैसे कि भूमि को किसी योजना या विकास योजना में किए गए आरक्षण या पदनाम से मुक्त कर दिया गया हो। उपधारा 3 में कहा गया है कि पिछले अधिनियम की धारा 16 या 17 में तहत राज्य सरकार में निहित भूमि के तहत संबंधित योजना या विकास योजना को भूमि के अधिग्रहण के कारण उपर्युक्त रूप से भिन्न माना जाएगा। धारा 129 धारा 17 या एल. ए. अधिनियम से मेल खाती है और 15 दिनों की सूचना देने के बाद तात्कालिकता की स्थिति में भूमि का कब्जा लेने का प्रावधान करती है और इसके बाद भूमि राज्य सरकार बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी। इस प्रावधान को गति में स्थापित करने के लिए धारा 126 (2) के तहत अधिसूचना के

प्रकाशन के बाद किसी भी समय योजना आँर अन्य अधिकारियों द्वारा एक आवेदन किया जाना चाहिए। धारा 129 (1) का प्रावधान धारा 17 की उप धारा (3) के अनुरूप है जो कलेक्टर को इच्छुक व्यक्तियों को भूमि पर खड़ी फसलों और पेड़ों के लिए आँर भूमि धारक को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य करता है। अचानक बेदखल होने के कारण, जब तक कि एल. ए. अधिनियम की धारा 24 द्वारा अपवादित न हो। धारा 129 की उप-धारा (2) में भूमि पर कब्जा लेने की तारीख से भुगतान की तारीख तक मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है। यह प्रावधान वहां लागू होता है, जहां तात्कालिकता खंड का आह्वान करके भूमि का कब्जा लिया जाता है। ब्याज की दर विशेष रूप से 4 प्रतिशत तक सीमित है जो एम. आर. टी. पी. अधिनियम लागू होने पर एल. ए. अधिनियम के तहत प्रचलित दर थी धारा 129 की उप-धारा (3) धारा 129 की उप-धारा (1) के तहत भूमि का कब्जा लिए जाने की स्थिति में इच्छुक व्यक्ति को देय अनुमानित राशि के दो तिहाई से अधिक नहीं की अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं करती है। कुछ हद तक, यह 1984 के अधिनियम 68 के बजाय उप-धारा 17 से मेल खाता है और यह तत्कालीन मौजूदा प्रावधान से विचलन का प्रतीक है। इस प्रकार, जहाँ तक तत्काल आधार पर अधिग्रहण का सवाल है धारा 129 के तहत संबंधित, विशिष्ट और विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। संयोग से, हम उल्लेख कर सकते हैं कि हमारे सामने कोई दलील या सामग्री नहीं

है कि प्रश्न में अधिग्रहण धारा 129 (1) के तहत था। इसलिए हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ब्याज की दर 4 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकता है।

मोटे तौर पर मुख्य प्रावधान हैं जिनके बारे में हम चिंतित हैं। और जिसके बीच महत्वपूर्ण प्रावधान, अर्थात्, धारा 126 की उप-धारा (3) लागू होती है।

किसी विशेष विषय पर पहले के अधिनियम के प्रावधानों को पिछले अधिनियम या उसके कुछ या अधिकांश प्रावधानों का व्यापक संदर्भ देकर उधार लेना एक अच्छी तरह से स्थापित विधायी प्रथा है, ताकि उन्हें प्रासंगिक विषय वस्तु पर लागू किया जा सके। बाद के कानून द्वारा यह मुख्य रूप से सुविधा के लिए किया जाता है ताकि पहले के अधिनियम के प्रावधानों की मौखिक पुनरावृत्ति से बचा जा सके। बहुत बार इस तरह के संदर्भ के बाद कुछ संशोधन किए जाते हैं जिनके अधीन पूर्ववर्ती अधिनियम को होना चाहिए। ये संशोधन कम या कई हो सकते हैं। जब इस तरह के विधायी उपकरण को अपनाया जाता है, तो पहले के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान बाद के अधिनियम द्वारा शासित मामलों पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। लेकिन, निर्माण में कठिनाई तब उत्पन्न होगी जब पहले के अधिनियम को निरस्त या संशोधित/संशोधित किया जाएगा। तब जटिल सवाल यह होगा कि क्या निरसन या संशोधन अनदेखा

किया जाना चाहिए और उधार लिए गए प्रावधानों को पढ़ा जाना चाहिए, जैसे वे थे। बाद के अधिनियम के अधिनियमन के समय या पहले के अधिनियम के प्रावधानों को बाद के संशोधनोंके अधीन लागू किया जाना चाहिए। यदि बाद के अधिनियम में निर्दिष्ट अधिनियम में बाद के संशोधनों की प्रयोज्यता या अन्यथा के बारे में कोई निश्चित संकेत है, तो कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है; लेकिन, समस्या तब उत्पन्न होती है जब ऐसा कोई संकेत नहीं होता है। यही वह जगह है जहाँ हम वैधानिक व्याख्या की दो संबद्ध लेकिन गुणात्मक रूप से अलग अवधारणाओं को संदर्भ द्वारा निगमन और बाद के अधिनियम में पहले के कानून के केवल संदर्भ या उद्धरण के रूप में जाना जाता है। पूर्व मामले में संशोधन या निरसन के माध्यम से निगमित कानून कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

दूसरे शब्दों में, निगमित कानून के प्रावधान जैसा कि वे उस प्रासंगिक समय पर थे, जब निगमित कानून को शामिल करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तब तक उस बाद के कानून में पढ़ा जाता रहेगा जब तक कि विधायिका संशोधनों के अनुरूप बाद के कानून में संशोधन करने के लिए एक सकारात्मक कदम नहीं उठाती है। हालांकि किसी कानून के मामले में कानूनी प्रभाव अन्यथा होता है जो केवल पहले के कानून के प्रावधानों का संदर्भ देता है। उस स्थिति में, समय-समय पर कानून में संशोधन का उस कानून पर प्रभाव पड़ेगा जिसमें इसे संदर्भित किया गया है। पूर्ववर्ती कानून के प्रावधानों उनके संशोधनों के साथ बाद के

अधिनियम में पढ़ना होगा, जिसमें उन्हें संदर्भित किया जाता है। जब तक कि ऐसा कोई बाद का संशोधन पहले से मौजूद। किसी विशिष्ट प्रावधान के साथ असंगत न हो।

'अभिव्यक्ति संदर्भ द्वारा निगमन को राज्य सचिव बनाम हिंदुस्तान कंपनी ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, एआईआर [1931] पी. सी. 149. प्रीवी कौंसिल द्वारा उपयुक्त और संक्षिप्त रूप से समझाया गया है। हम पृष्ठ 152 पर होने वाला प्रासंगिक परिच्छेद को उद्धृत करेंगे।

" इस देश में यह स्वीकार किया जाता है कि जहां एक कानून को संदर्भ द्वारा दूसरे कानून में शामिल किया जाता है, पहले कानून का निरसन दूसरे कानून को प्रभावित नहीं करता है।

" इसलिए दोनों अधिनियमों के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता दी गई है; मूल अधिनियम की मृत्यु के बावजूद, इसकी संतान निगमन अधिनियम में जीवित रहती है, यद्यपि सामान्य खंड अधिनियम में ऐसा कोई बचन खंड नहीं दिखता है, लेकिन उनके आधिपत्य का मानना है कि इसमें शामिल सद्धांत इस प्रकार है कि यह भारत में भी उतना ही लागू है, जितना कि इस देश में है।

जहां तक पहले कानून में बाद के संशोधनों के माध्यम से परिवर्धन का संबंध है, स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है:

" यह अभिनिर्धारित करना कम तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि जहां किसी मौजूदा अधिनियम के कुछ प्रावधानों को बाद के अधिनियम में शामिल किया गया है, वहां पूर्व अधिनियम के साथ कोई अतिरिक्त नहीं है, जिसे स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया है, को शामिल नहीं माना जा सकता है। इसमें सभी घटनाओं पर यदि बाद के अधिनियम के लिए बिना किसी जोड़ के प्रभावी ढंग से कार्य करना संभव है,

संदर्भ द्वारा निगमन और इसे अपनाने के बीच का अंतर संदर्भ द्वारा निगमन और केवल संदर्भ या उद्धरण द्वारा प्रावधानों को अपनाने के बीच अंतर को उजागर करना बहुत आसान नहीं है। यह अंतर डिग्री के अंतर में से एक है और अक्सर धुंधला होता है। यह तथ्य कि यह पता लगाने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश या विशिष्ट विशेषताएँ नहीं लिखी गई हैं कि क्या यह एक या दूसरी श्रेणी से संबंधित है, जिससे पहचान का कार्य कठिन हो जाता है। व्याख्या से जुड़े शब्दार्थ एक सीमित सीमा तक अपनी भूमिका। अंततः, यह विधायी इरादे की जांच करने और/या अधिनियम के कामकाज में अंतर्दृष्टि लेने का मामला है। यदि एक या दूसरे दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो यह पता लगाने के लिए कि सिद्धांतवादी दृष्टिकोण कि क्या कानून निगमन या संदर्भ द्वारा है, अंतिम विश्लेषण पर, उस उद्देश्य की ओर निर्देशित है। मुख्य नियम को कवर करने वाले अपवादों के साथ यह भेद अक्सर महत्वहीन हो जाता है क्या विधानमंडल का इरादा खुद भविष्य में होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए को बाध्य करने का था

जो पहले के अधिनियम में किए जा सकते हैं जिससे प्रावधान उधार लिए गए हैं?

या क्या विधानमंडल ने बाद के क़ानून के अधिनियमन की तारीख पर प्रचलित पूर्व अधिनियम के प्रावधानों को रोक दिया था ताकि इसे बाद के संशोधनों के प्रभाव से बचाया जा सके? ये ऐसे सवाल हैं जो बड़े पैमाने पर उठ रहे हैं कि क्या पूर्ववर्ती अधिनियम से उधार लिए गए प्रावधानों को उसमें किए गए बाद के संशोधनों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ढूँढते समय इस अधिनियम की भाषा, योजना और उद्देश्य निस्संदेह महत्व रखते हैं।

यह स्पष्ट करने के लिए एक संकेत है कि क्या यह निगमन या संदर्भ का मामला है

राज्य सचिव में प्रिवी काउंसिल के निर्णय द्वारा प्रस्तुत किया गया है वी. हिंदुस्तान कॉप बीमा सोसायटी लिमिटेड, सुप्रा, अर्थात्, पहले के अधिनियम के प्रावधानों को व्यापक रूप से अपनाते हुए किए गए संशोधन "असंख्य और पर्याप्त" हैं। वह अवलोकन क्या है?

इसका अर्थ है जैसे कि वे "असंख्य और पर्याप्त हैं" हैं, प्रथम दृष्टया यह विधानमंडल की ओर से उधार अधिनियम के प्रावधानों से आगे नहीं जाने का इरादा प्रकट करता है जैसा कि वे बाद के अधिनियम 2003 के

अधिनियमन के समय मौजूद थे, सिवाय इसके कि किए गए संशोधनों के अधीन उन्हें पढ़ें।

यही मुद्दा है-क्या M.R.T.P अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मूल प्रावधानों को अपने आप में शामिल कर दिया था या महाराष्ट्र राज्य बनाम संत जोगिंदर सिंह, [1995] पूरक। 2 एससीसी 475 के मामले में एक अलग संदर्भ में विचार के लिए सामने आए। संदर्भ द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया था। वहाँ, यह प्रश्न उठा कि क्या 84 के केंद्रीय अधिनियम 68 द्वारा प्रस्तुत अधिग्रहण भूमि अधिनियम की धारा 11ए, जो धारा 11 के तहत अधिनिर्णय पारित करने के लिए बाहरी सीमा निर्धारित करती है और इसके गैर-अनुपालन के परिणाम के लिए भी प्रावधान करती है, को लागू किया जाना चाहिए। M.R.T.P में पढ़े धारा 126 (3) के आधार पर कार्य करे। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया। विद्वान न्यायाधीशों ने मुख्य रूप से भरोसा किया है धारा 126 की उप धारा (2) और (4) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11ए जैसे प्रावधान को आवश्यक निहितार्थ रूप से बाहर रखा गया है। उनके अधिपतियों ने इस सवाल पर भी चर्चा की कि क्या M.R.T.P के प्रावधानों ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम में एल.ए अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया है या उन्हें केवल संदर्भ प्रक्रिया द्वारा अपनाया गया। गौरी शंकर गौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1994] 1 एस. सी. सी.

पृष्ठ 92 में पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, आवास एवं विकास परिषद के प्रावधान विचार के लिए पड़े थे, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि "अधिनियम के तहत स्थिति समान है", जिसका अर्थ है कि एल. ए. अधिनियम में बाद के संशोधनों को M.R.T.P अधिनियम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, प्रक्रियात्मक और मूल प्रावधानों के बीच एक अंतर किया गया था और यह देखा गया था कि धारा 11ए जो एक प्रक्रियात्मक है। एल. ए. अधिनियम की धारा 23 के समान नहीं है। एक और अवलोकन किया गया कि विधायिका का M.R.T.P अधिनियम के तहत अधिग्रहण की शक्ति के प्रयोग के लिए पहले के अधिनियम के अनिर्दिष्ट प्रावधानों को लागू करने का इरादा नहीं था। विद्वान न्यायाधीश इस आधार पर आगे बढ़े कि यू. पी. की विकास योजना आँर प्रावधान अधिनियम और M.R.T.P अधिनियम समान हैं। यद्यपि हम पाते हैं कि दोनों प्रावधानों के बीच कुछ अंतर हैं, फिर भी इस पहलू पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। संत जोगिंदर सिंह के मामले में अंतिम निष्कर्ष इस अनुपात पर आधारित प्रतीत होता है कि M.R.T.P में पर्याप्त संकेत है। धारा 126 ( 3 ) की उपधारा 2 व 4 के मद्देनजर एल.ए अधिनियम की धारा 11ए की प्रयोजिता काे बाहर करने के लिए स्वयं कार्य करें। चूंकि हम धारा 126 ( 3 ) की सही व्याख्या के प्रश्न को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इस निर्णय से क्या और किस हद तक

समर्थन प्राप्त किया जा सकता है, इस पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे को इसके दो हाल के फैसलों के आलोक में 126 ( 3 ) कानून की अन्य श्रेणी में रखने की कवायद किए बिना एक अलग सिद्धांत पर तय किया जा सकता है।

सबसे पहले, हमारे पास यू. पी. का मामला है। आवास एवं विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम, [1998] 2 एस. सी. सी. 467 का फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठ ने किया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यू. पी. आवास विकास परिषद अधिनियम, 1965 को एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों को शामिल माना जाना चाहिए। क्योंकि उस समय विद्यमान अधिनियम में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आगे नहीं बढ़े कि 1984 के अधिनियम 68 द्वारा एल. ए. अधिनियम में संशोधन नहीं किया जा सकता, को अधिनियम में पढ़ा जा सकता है। हालाँकि, इस मुद्दे को वैधानिक व्याख्या के प्रसिद्ध सिद्धांत को लागू करते हुए एक अलग कोण से देखा गया था कि "यदि कानून के कुछ प्रावधान, एक तरह से माने जाने पर, तो उन्हें संविधान के अनुरूप बना देंगे और दूसरी व्याख्या उन्हें असंवैधानिक बना देगी। अदालत पहले के

निर्माण के पक्ष में होगी।" जाँच के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, यह इस प्रकार देखा गया कि:

यदि उनका इस तरह से अर्थ लगाया जाता है कि वे एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करते हैं जैसा कि यह अधिनियम के अधिनियमन की तारीख को था, 1984 के अधिनियम द्वारा एल. ए. अधिनियम में मुआवजे के निर्धारण और भुगतान से संबंधित संशोधनों के बिना संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

संदर्भ में, यह कहा जा सकता है कि यदि प्रावधानों का अर्थ संकेत के अनुसार लगाया जाता है एक मालिक के ऊपर जिसकी भूमि अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई है व एल.ए अधिनियम की धारा 23 ( 2 ) के तहत 15 प्रतिशत की दर से और ब्याज की राशि के भुगतान का हकदार होगा। एल.ए अधिनियम की धारा 28 के तहत 6 प्रतिशत की ब्याज की दर पर भुगतान करने का हकदार होगा, लेकिन एक मालिक, जिसकी भूमि 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहीत की गई है व 30 प्रतिशत की दर से ऋण राशि और 9 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। संशोधित एल. ए. अधिनियम की धारा 23 (1-ए), के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त राशि के भुगतान का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, उस मालिक को देय मुआवाजा जिसकी अधिनियम के प्रयोजनों

के लिए अधिग्रहीत की गई है। उस मालिक को देय मुआवजे से कम होगा, जिसकी भूमि 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित एल.ए अधिनियम के तहत अधिग्रहीत की गई है। क्या दोनों भूस्वामियों के साथ उनकी भूमि के अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान के मामलों में अलग-अलग व्यवहार करने का कोई कोई तर्कसंगत आधार है?

नागपुर में हुएवीमेंट ट्रस्ट मामला [1973] 1 एस. सी. सी. 500 इस न्यायालय की विशेष पीठ के फैसले पर भरोसा करते, विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया:

"कि जिन कारणों से नागपुर सुधार न्यास अधिनियम के प्रावधानों को खारिज कर दिया जिसके तहत एल.ए अधिनियम की धारा 23 को उक्त अधिनियम के तहत अधिग्रहण के उद्देश्य से अपने आवेदन में संशोधित किया गया था। इसलिए संवैधानिक विचार करते समय समान रूप से लागू होंगे। अधिनियम के प्रावधानों की वैधता, जिसके तहत एल. ए. अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों को अधिनियम की अनुसूची के तहत संशोधित किया गया है।

पैरा 31 में इस राय को और मजबूत किया गया और एक अंतिम विचार इस प्रकार के शब्दों में व्यक्त किया गया:

" चूंकि वर्तमान मामले में भूमि अधिनियम के तहत लागू एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण शामिल है।

यह पूरी तरह से नागपुर में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया। इस न्यायालय के उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यदि अधिनियम का अर्थ इस प्रकार लगाया गया है कि एल. ए. अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि वे अधिनियम के अधिनियमन की तारीख पर खड़े थे, अधिनियम अधिनियमन के प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू होगा और क्षतिपूर्ति के निर्धारण और भुगतान से संबंधित 1984 का अधिनियम द्वारा एल.ए अधिनियम में पेश किए गए संशोधन लागू नहीं होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि वे प्रावधान एल.ए अधिनियम जैसा की अधिनियम के तहत लागू होता है, मनमाने और शत्रुतापूर्ण भेदभाव के दोष से ग्रस्त होगा। ऐसे परिणाम से बचा जा सकता है कि यदि अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ यह समझा जाता है कि मुआवजे के निर्धारण और भुगतान से संबंधित, एल. ए. अधिनियम के प्रावधान, 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम के उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू होंगे। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाद वाले को अपनाने से रोकता है। दूसरी ओर, अधिनियम के प्रावधानों से पता चलता है कि अधिनियम को लागू करते समय, विधानमंडल

का इरादा, अनुसूची में धारा 23 (2) को संशोधित करके 15 प्रतिशत की दर से राहत का लाभ प्रदान करना था, जो कि लाभ उपलब्ध नहीं था। एल. ए. अधिनियम के प्रावधान अधिनियम के अधिनियमन के समय उत्तर प्रदेश राज्य में लागू था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम को लागू करने में विधायिका का इरादा भूमि मालिकों को लाभ से वंचित करना था,। अधिनियम को अधिनियमित करने का अर्थ भूस्वामियों को मुआवजे का निर्धारण और भुगतान से संबंधित लाभों से वंचित करना था, जो अधिनियम के अधिनियम के बाद एल.ए अधिनियम में किए किसी भी संशोधन के तहत उन्हें उपलब्ध होंगे, इसलिए हमारी राय है कि अधिनियम की धारा 55 के उचित निर्माण पर यह माना जाना चाहिए कि अधिनियम में एल.ए अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करते समय विधान का इरादा यह था कि निर्धारण से संबंधित एल.ए अधिनियम में संशोधन आरैर मुआवजे का भुगतान अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण पर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि मुआवजे के निर्धारण आरैर भुगतान से संबंधित 1984 के अधिनियम द्वारा एल.ए अधिनियम में पेश किए गए संशोधन जैसा कि धारा 23 (1-ए) और 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 23 (2)

और 28 पर लागू होंगे। अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकरण मुआवजे के मामलों में भूमि अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी के आधार पर कोई वैध वर्गीकरण नहीं हो सकता है। जहां तक मालिक की बात है, तो जहाँ तक मालिक का संबंध है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूमि एक प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है या दूसरे द्वारा।

हमारे यहाँ भी ऐसी ही स्थिति है। यू. पी. में अनुपात आरैर तर्क ई. वी. परिषद मामले में एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अध्याय VII के तहत अधिग्रहण के लिए समान रूप से लागू होता है, यदि अधिक बल के साथ लागू नहीं होता है, जिसका धारा 126 (3) एक हिस्सा है। वास्तव में एम. आर. टी. पी. अधिनियम द्वारा एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों में किए गए संशोधन न्यूनतम हैं और किसी भी दर पर यू. पी. अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हैं। अधिनियम को छोड़कर धारा 129 द्वारा निपटाए गए तत्काल अधिग्रहण के संबंध में। पूर्ववर्ती अधिनियम द्वारा कवर किए गए मामलों को विशेष रूप से संदर्भित या पुनर्निर्दिष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि यह पहले से ही धारा 126 (3) द्वारा निर्धारित किया गया है कि एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण, जहां तक मुआवजे के निर्धारण का संबंध है, इसमें

कोई पर्याप्त या कठोर प्रकृति के संशोधन नहीं हैं। बाजार मूल्य के निर्धारण की तारीख से संबंधित धारा 126 (3) में संशोधन केवल अधिनियम की योजना के संदर्भ में आवश्यक है। उप-धारा 2 के प्रावधान के साथ पठित धारा 126 (4) का उद्देश्य भूमि धारक को एक उचित सौदा देना है और साथ ही एक वर्ष की समाप्ति के बावजूद एक नई घोषणा जारी करने की शक्ति को सुरक्षित रखना है। यदि ऐसी नई घोषणा जारी की जाती है, तो बाजार मूल्य का आकलन किया जाएगा, नई घोषणा के प्रकाशन की तारीख के संदर्भ में। हमारे विचार में, धारा 126 में निहित प्रावधान या अध्याय VII में होने वाले कोई अन्य प्रावधान समय-समय पर संशोधित एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों को मुआवजा लागू नहीं करने के इरादे को प्रकट करने के बजाय यह सुझाव देता है कि विधायिका का इरादा मुआवजे और अन्य संबद्ध मौद्रिक के विषय पर एल. ए. अधिनियम से एक स्पष्ट विचलन करने का नहीं था। यू. पी. आवास परिषद के मामले में पैरा 31 में किए गए अवलोकन को दोहराते हुए, हमारा मानना है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निर्माण को अपनाने से रोकता है कि 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित मुआवजे के पुरस्कार से संबंधित एल. ए. अधिनियम का प्रावधान उस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर पूरे जोर से लागू होगा। जब तक इस तरह की व्याख्या को धारा 126 (3) पर नहीं रखा जाता है, तब तक एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित दुर्भावनापूर्ण

भेदभाव और स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित होगा। यदि अपीलार्थी द्वारा दी जाने वाली व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो धारा 126 (3) स्वयं अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में निरस्त होने के लिए उत्तरदायी है और इस मामले में अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अध्याय VII द्वारा कार्यहीन और अप्रभावी हो जाएगी।

जिन भूमि धारकों की भूमि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अध्याय VII के तहत अधिग्रहित की गई है, हमारे विचार में, सार्वजनिक उद्देश्य की प्रकृति या प्राधिकरण के आधार पर भूमि के अभाव के लिए मौद्रिक प्रतिदान प्राप्त करने के मामले में अक्षमता या नुकसान के अधीन नहीं किया जा सकता है, जिसके लाभ के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है।

यू. पी. ए. ई. वी. परिषद मामले में लिए गए विचार को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दोहराया गया। इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एक बहुत ही हाल के फैसले में v. वसंत राव, [2002] 7 एस. सी. सी. 657। पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1922 और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट 1936 के तहत अधिग्रहण के मामलों में U.P.A.E.V परिषद मामले में निर्णय और उसमें पहुंचे निष्कर्ष के अनुपात का समर्थन किया गया और इसे लागू किया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क टी. पी. टी. का विस्तार से उल्लेख करने के बाद।

U.P.A.E.V. परिषद मामला, बी. पी. सिंह, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा अनुच्छेद 50:

" जहाँ तक पंजाब अधिनियम और नागपुर अधिनियम का संबंध है, अनुसूचियाँ भूमि की धारा 23 (2) के प्रावधानों को संशोधित नहीं करती हैं। अधिग्रहण अधिनियम जो ऋण राशि के भुगतान का प्रावधान करता है। तथापि, इस आशय का एक परन्तुक जोड़ा गया कि उप-धारा (2) विचाराधीन राज्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी। यह जोड़ा गया था। परन्तुक दोनों राज्य अधिनियमों में समान है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण किया गया था, जैसा कि संशोधित है। विधायिका का इरादा भूमि अधिग्रहण के तहत प्रदान किए गए ऋण के दावेदारों को वंचित करने का नहीं था। लेकिन राज्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहण के मामलों में मुआवजे का भुगतान देय नहीं था। दोनों राज्य अधिनियमों में ऐसे प्रावधान हैं जो राज्य को, इसके लिए भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देते हैं। की भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों जैसे अधिग्रहण का सहारा लिए बिना योजना के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देते हैं। जैसे कि खरीद, पट्टा, विनिमय या अन्यथा अधिग्रहण या विलंबित

सड़क योजना, विकास योजना और विस्तार योजना के तहत विचार किए गए इस तरह के अधिग्रहणों के संबंध में ऋण राशि देय नहीं है। इस तरह के मामले बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट की धारा 53 के तहत अधिग्रहण के समान हैं, जिस पर इस अदालत ने प्रकाश अमीचंद शाह बनाम गुजरात राज्य में विचार किया था। इन परिस्थितियों में कानून को मनमाने और शत्रुतापूर्ण भेदभाव से बचाने के लिए इसके विपरीत कुछ भी नहीं होने पर प्रावधानों का अर्थ, यह समझा जाना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। मुआवजे का निर्धारण और भुगतान राज्य अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू होगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करते समय वधायिका का इरादा यह था कि मुआवजे के निर्धारण एवं भुगतान से संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन भूमि अधिग्रहण पर लागू होंगे।"

विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि दावेदार धारा 23 (1-ए), यदि लागू हो और 1984 अधिनियम द्वारा संशोधित एल. ए. अधिनियम की धारा 23 (2) और 28 द्वारा प्रदत्त लाभों के हकदार थे

एम. आर. टी. पी. के प्रावधानों और तीन न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए इस न्यायालय के दो निर्णय के विश्लेषण के आलोक में, हमें अपीलार्थियों की ओर से दिए गए तर्क को अस्वीकार करना चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को बरकरार रखना चाहिए। जिला न्यायाधीश, नासिक का पुरस्कार, संदर्भ मामले में जहां-1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित एल. ए. अधिनियम की धारा 23 (1-ए), 23 (2) और धारा 28 के तहत लाभ उत्तरदाताओं के लिए दिए गए थे। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करता है।

संदर्भ न्यायालय के निष्कर्ष पर हमला करने का कुछ प्रयास किया गया था और उच्च न्यायालय बाजार मूल्य की मात्रा की तुलना करता है। यह तर्क दिया जाता है कि भूमि-धारकों/प्रत्यर्थियों द्वारा दावा की गई राशि अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की तुलना में बहुत कम है। उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया था और न ही इस तर्क को साबित करने के लिए हमारे समक्ष कोई सामग्री रखी गई थी। इसके अलावा, हमें सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी और उसी को खारिज कर दिया गया था। लेकिन उस आदेश के खिलाफ कोई एस. एल. पी. दायर नहीं की गई है। हमें इस विवाद पर और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी जाती है, लेकिन बिना किसी लागत के।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती सुप्रभा देवल, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादान और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य गा।